माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । 2006 निगरानी

R2069-II/06

1- शोभाराम
2- सुधर सिंह
3- गिरवर सिंह
4- श्याम सिंह पुत्रगण प्रभु जाति कुशवाह, निवासीगण ग्राम डिडीकलाँ, परगना व जिला भिण्ड (म0प्र0)------- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1- विहारी
2- प्रभु पुत्रगण भोलाराम जाति कुशवाह, निवासीगण- ग्राम डिडीकलाँ परगना व जिला भिण्ड --------- रिस्पो0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी 4-8-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 135।2005-2006 अपील जिसके द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 27-10-2005 प्रकरण क्रमांक 90।2004-05 अपील माल में पारित आदेश के विरूद्ध अपील निरस्त की ।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण कीनिगरानी निम्नानुसार पस्तुत है --

(1) यहकि, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि का 1।4 हिस्सा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31-8-1995 को मुरैलाल से 75,500-00 रूपये में रजिस्टर्ड क्यनामे के द्वारा क्रय किया

---2

(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी ~~2888~~ 2069–दो / 2006

जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–14	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 16–10–07 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 4–4–2014 तक नियत होता रहा किन्तु 16–7–2007 से 4–4–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 4–4–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2006 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशासकीय सदस्य	